कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना–स्था/2018 दिनांक 15.07.2018 द्वारा श्री गोपाल प्रसाद महर्षि प्रधानाचार्य राआउमावि–बच्छारारा, रतनगढ जिला चुरू का स्थानान्तरण राउमावि–लूणखां, खाजूवाला जिला बीकानेर किया गया था जिसके विरूद्ध श्री गोपाल प्रसाद द्वारा राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील संख्या 2856/2018 गोपाल प्रसाद महर्षि बनाम श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 2856/2018 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.09.2018 द्वारा अपीलार्थी श्री गोपाल प्रसाद महर्षि को दिनांक 20.09.2018 तक प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने और सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में उसे विधि अनुसार राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 05.10.2018 तक एक आख्यात्मक आदेश प्रसारित कर निस्तारित करने और ऐसे निस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थी को प्रदान किये जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में अपने पदस्थापन स्थान के करीब 350 किमी. दूर होने तथा अपनी पत्नी के निधन हो जाने के उपरान्त पारिवारिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करने में होने वाली परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए अपना पदस्थापन राउमावि–हरासर, सुजानगढ जिला चुरू अथवा राआउमावि–आसपालसर, सरदारशहर जिला चुरू किये जाने की परिवेदना की गई।

याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का राज्य सरकार व विभागीय दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में गहनता से परीक्षण किया गया व उनसे सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन किया गया। याचिकार्थी द्वारा धारित प्रधानाचार्य एवं समकक्ष का पद राज्य सेवा का पद है और माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय जगमोहन बनाम सरकार प्रकरण के अनुसार राज्य सेवा का पद धारित कार्मिक की सेवाऐं सरकार अथवा विभागाध्यक्ष राज्य हित/छात्र हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी लेने हेतु सक्षम है। इसी अनुरूप याचिकार्थी गोपाल प्रसाद महर्षि द्वारा चाहा गया अनुतोष देय नहीं होने के कारण उनका अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाकर आदेशित किया जाता है कि वे विभागीय आदेश दिनांक 15.07.2018 की अनुपालना में अपने स्थानान्तरित स्थान राउमावि लूणखां, खाजूवाला जिला बीकानेर में दिनांक 04.10.2018 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण की सूचना शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्ट किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा उनके विरूद्ध नियम 17 सी.सी.ए में विभागीय कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/गोपाल महर्षि/याचिका/2856/2018 **दिनांक** 01-10-18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा,राजस्थान सरकार जयपुर।
2. सम्बन्धित उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, चुरू/बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा,चुरू/बीकानेर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. सम्बन्धित कार्मिक/याचिकार्थी को आदेश की पालनार्थ।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक कार्मिक

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश कमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना.स्था/2018 दिनांक 19.05.2018 द्वारा श्रीमती ऊषा दबले प्रधानाचार्या राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, अरेण अजमेर का स्थानान्तरण राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, मुगदरा, रिंया जिला नागौर किया गया था जिसके विरूद्ध श्रीमती ऊषा दबले द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील सं. 830/2018 ऊषा दबले बनाम श्रीमान निदेशक, माध्यमिक शिक्षा व अन्य दायर की गई।

अपील सं. 830/2018 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.06.2018 द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त आशय का अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में उसे विधि अनुसार राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में एक आख्यात्मक आदेश प्रसारित कर निस्तारित करने एवं ऐसे निस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थी को देने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए हैं। अपीलार्थी के अभ्यावेदन निस्तारण तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 19.05.2018 का क्रियान्वयन माननीय अधिकरण द्वारा स्थगित रखा गया है।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में स्वयं के ब्रेस्ट कैंसर रोग से ग्रस्त होने के मद्देनजर अपना स्थानान्तरण आदेश निरस्त कर पुनः अजमेर जिले में किये जाने सम्बन्धी परिवेदना की गई।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में गहनता से अवलोकन व परीक्षण किया गया व उनकी मांग पर विचार किया गया। अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर किया गया था। अपीलार्थी द्वारा धारित प्रधानाचार्य एवं समकक्ष स्तर का पद राज्य शिक्षा सेवा के राजपत्रित स्तर के अधिकारी का पद है और माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय जगमोहन बनाम सरकार प्रकरण के अनुसार राज्य सेवा का पद धारित कार्मिक की सेवाऐं सरकार अथवा विभागाध्यक्ष राज्य हित/छात्र हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी लेने हेतु सक्षम हैं। अपीलार्थी को समीपवर्ती नागौर जिले में ही स्थानान्तरित किया गया है, किसी दूरस्थ स्थान पर नहीं। अतः इस आधार पर चाहा गया अनुतोष देय नहीं होने के कारण अपीलार्थी श्रीमती ऊषा दबले, प्रधानाचार्य का अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाकर आदेशित किया जाता है कि वे विभागीय स्थानान्तरण आदेश दिनांकः 19.05.2018 की अनुपालना में तत्काल कार्यमुक्त हो दिनांक 03.10.2018 तक अपने स्थानान्तरित स्थान राबाउमावि–मुगदरा, रियां जिला नागौर में कार्यग्रहण कर कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की सूचना शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्ट किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा उनके विरूद्ध नियम 17 सी.सी.ए में विभागीय कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/ऊषा दाबले/अपील/830/2018 दिनांक 28.09.18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, अजमेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा नागौर/अजमेर–प्रथम/द्वितीय।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. सम्बन्धित कार्मिक को आदेश की पालनार्थ। .

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)